न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या 0022/2022/टोंक

1. रतनलाल पुत्र बंशी,
2. रामेश्वर पुत्र शंकरलाल,
3. छोटूलाल पुत्र बंशी,
4. श्योजीराम पुत्र बंशी,
5. रूपा देवी पत्नि बंशी,
6. लाडा पत्नि श्योजी,

समस्त जाति जाट, निवासीगण बरवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

—अपीलांटस

बनाम

1. छग्गू पत्नि बालू,
2. देवालाल पुत्र बालू,

समस्त जाति जाट, निवासीगण बरवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

—रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह, जिला टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2021 जो प्रकरण संख्या 173/2021 उनवानी छग्गू बनाम तहसीलदार में पारित किया गया।

————————————————————

उपस्थित अभि0:— श्री दिनेश साहू (अपीलांट अभि0)

रेस्पोडेंट अभिभाषकः— श्री एस0पी0चौधरी

राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

<u>निर्णय</u> दिनांकः—29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट 1 के द्वारा तहसीलदार टोडारायसिंह को पक्षकार बनाते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट(173/2021) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में दर्ज करवाया गया। जिसे उनके द्वारा दिनांक 16.01.2021 को स्वीकार करते हुए पत्थरगढ़ी बाबत आदेश जारी किया है। विवादित भूमि ग्राम बरवास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक में स्थित होकर खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 1162/1973 रकबा 0.15 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1162/1898 रकबा 0.18 हेक्टेयर है। उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील अपीलांट द्वारा निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है—

1. आवश्यक पक्षकारों को बिना पक्षकार बनाये उन्हे बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए [illegible] न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की है।

2. सीमाज्ञान से पहले सभी पड़ौसी [illegible]ना ही कोई मौका रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:59 IST
Reason: SelfAttested

3. मात्र 2 पेशी पर ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। प्रथम पेशी दिनांक 10.06.2021 को प्रकरण दर्ज किया गया। दूसरी पेशी दिनांक 16.06.2021 पर निर्णय कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश नॉनस्पिकिंग व अस्पष्ट निर्णय की परिभाषा में आता है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2021 को निरस्त किया जाये और प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र, धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का यह कहना है कि अपीलाधीन प्रकरण में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था। दिनांक 08.12.2021 को अप्रार्थी 1 व 2 मौके पर आकर कोर्ट के आदेश के बारे में बताते है कि अब हम मौके पर मर्जी से सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी करवायेगें। तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी लेने पर पटवारी द्वारा उन्हे निर्णय की जानकारी दी गई। दिनांक 09.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय टोडारायसिंह के और नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर दिनांक 10.12.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई। लॉकडाउन की वजह से अपील को देरी से प्रस्तुत किया गया। देरी को क्षमा किया जाये।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के अनुसार पत्थरगढ़ी के प्रकरण में सभी पड़ौसी काश्तकारों को सुनना आवश्यक है। मगर उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाधीन निर्णयकी आड़ में प्रार्थीया की आराजी में दखलअंदाजी करने को आमादा है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायें। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर मंगवाया गया।

रेस्पोडेंट की ओर से श्री शिव प्रकाश चौधरी एडवोकेट उपस्थित हुए। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र धरा 151 सीपीसी , जवाब प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी और धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। रेस्पोडेंट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र और धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के लिखित जवाब प्रस्तुत किये गये। धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थी रेस्पोडेंट ने यह कहा है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.02.2022 को धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र को सब्जेक्ट टू लिमिटेशन करते हुए एडमिट की गई थी एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को भी एडमिट की गई थी। कानून धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करने के उपरांत ही मेरिट पर निर्णय पारित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोनो प्रार्थना पत्रों का अपील निर्णय से पूर्व निस्तारण किया जायें। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के लिखित जवाब में रेस्पोडेंट अभिभाषक के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2021 में ऑपरेटिव पैरा में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया था कि सभी पड़ौसी खातेदारान को नोटिस दिया जाकर उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किया जावें। ऐसी स्थिति में विपक्षी को पक्षकार नही बनाये जाने बाबत एवं बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये वगैर आदेश पारित करने के कथन मिथ्या एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण न तो प्रभावित पक्षकार है। ना ही पीड़ित पक्षकार है। इसलिए विपक्षी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायें। साथ ही उसके द्वारा धारा 96 सीपीसी के साथ कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया जो प्रार्थना पत्र में कही गयी बातों की [illegible]ता हों। प्रार्थना पत्र खारिज किया जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:59 IST
Reason: SelfAttested

धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा निम्नानुसार दिया गया है–इसके अनुसार दिनांक 08.12.2021 को प्रार्थी अपीलांट को निर्णय की जानकारी हो चुकी थी। मगर उसके द्वारा दिनांक 23.02.2022 को अपील प्रस्तुत देरी से की गई है तथा संतोषप्रद

कारण नहीं बताये गये है तथा अपने प्रार्थना पत्र में प्रत्येक दिन देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है। उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जायें।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा मौखिक बहस की गई। वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस पेश करने की बात कही गई। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 12.01.2023 को रिजर्व की गई।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 08.12.2021 को हुई। उसके पश्चात दिनांक 10.12.2021 को नकल प्राप्त की और शीघ्र अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 23.02.2022 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। कोरोनाकाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपील की मियाद दिनांक 28.02.2022 के बाद माने जाने के निर्देश है। वर्तमान अपील दिनांक 23.02.2022 को ही प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह दिनांक 16.06.2021 प्रकरण संख्या 173/2021 की प्रोसिडिंग दिनांक 10.06.2021 से दिनांक 16.06.2021 अपीलाधीन प्रार्थना पत्र द्वारा छग्गू जमाबंदी ग्राम बरवास खाता संख्या नया 135, 505, 357, 384 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग दिनांक 10.06.2021 से 16.06.2021 का अवलोकन किया गया। दिनांक 10.06.2021 में उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी करने का अंकन होकर पत्रावली को दिनांक 16.06.2021 को नियत की गई। दिनांक 16.06.2021 को उक्त अंकन अंकित है। ''अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। इसलिए कार्यवाही एकतरफा की जाती है। अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शुमार किया गया। पत्रावली फैसल से कम होकर नम्बर से कम हो।'' निर्णय दिनांक 16.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रोसिडंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा बहुत जल्दबाजी में मात्र दो पेशी में निर्णय किया गया। छग्गू और देवलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 108 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा 2 में यह अंकित है यह कि ''उक्त आराजीयात के मुस्तकिल सीमा चिन्ह नहीं थे। वह पूर्व में ही उक्त आराजी के सीमाचिन्ह नष्ट हो गये है। इसलिए प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदाराने के मध्य सीमा चिन्ह स्पष्ट न होने के कारण व सीमाओं के संबंध में विवाद उठने की पूर्ण रूप से संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में स्पष्ट सीमा चिन्ह के अभाव में पड़ौसी प्रार्थीगण की आराजीयात में घुसने का प्रयास करता है व सीमा चिन्ह कायम करने से भी दिनांक 07.06.2021 को भी स्पष्ट इंकार कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण अधिकारी है कि अपने कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयात में स्थायी चिन्ह कायम करने हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश प्राप्त कर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है।'' अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट के पैरा 2 में अवलोकन से यह स्पष्ट है कि छग्गू और देवलाल का अपने पड़ौसी काश्तकारों से अपने सीमा जानकारी [illegible] विवाद है। मगर आश्चर्यजनक रूप से अपने पड़ौसी काश्तकारों को अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा आदेश प्राप्त कर लिया गया है। जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत नक्शाट्रेस जो पटवारी द्वारा दिनांक 11.01.2022 को जारी किया हुआ है। उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर से जुड़े हुए खसरा नम्बर 1162, 1161,1179/2 है। जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम बरवास के अनुसार खसरा नम्बर 1161 और 62 के खातेदार छोटूलाल पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:59 IST
Reason: SelfAttested

बंशी, रतनलाल पुत्र बंशी, रूपादेवी पुत्री बंशी, श्योजीराम पुत्र बंशी दर्ज रिकोर्ड है तथा खसरा नम्बर 1179/2 के खातेदार लाडा पत्नि श्योजी है। उक्त सभी वर्तमान अपील में अपीलांट है तथा अपीलाधीन प्रकरण में इन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। जो गलत है। नक्शाट्रेस के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बरों से जुड़े हुए खसरा नम्बर वर्तमान अपीलांटगण के है और सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी से उक्त अपीलांटगण प्रभावित होते है तथा व्यथित पक्षकार की श्रेणी में इन्हें माना जाता है। अतः अपीलांट को व्यथित पक्षकार मानते हुए इनके द्वारा प्रस्तुत धारा 96 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। धारा 96 के प्रार्थना पत्र में मात्र शपथ पत्र ना होने से अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र मात्र तकनीकी कमी से खारिज नहीं किया जा सकता है।

आरआरटी 2021(2) पेज 1259 गजा बनाम केवा में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण में सही रूप से चस्पा होता है।

यह सही है कि किसी भी काश्तकार को अपने कृषि भूमि की सीमाओं का ज्ञान रखने का अधिकार है। मगर इस बाबत निर्देशित प्रक्रिया का भी पालन किया जाना आवश्यक है। सीमा विवाद के बारे में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी सीमा विवाद को तय करेगा। उक्त निर्णय वर्तमान सर्वे मेप के आधार पर किया जायेगा। अगर सर्वे में नहीं है तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमाज्ञान करवाया जायेगा अर्था जहां कोई विवाद ना हो और सिर्फ सीमाज्ञान करना हो तो वहां तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। परंतु जहां विवाद की स्थिति हो वहां लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर धारा 111 के प्रावधान के तहत सीमाज्ञान करवायेगा। लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर(उपखण्ड अधिकारी) के पास विवाद आने पर वह तहसीलदार को सीमाज्ञान कराने का आदेश दे सकता है या राजस्व विभाग की टीम बनायी जा सकती है और मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जा सकती है। फिर दोनो पक्षों को सुनकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा और संबंधित पक्षकारों को पाबंद करेगा कि किस पक्ष की सीमा कहा तक है और उसमें दूसरा पक्ष किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए। बाउण्डरी विवाद के बारे में यह तय करना चाहिए कि बाउण्डरी कहां स्थापित है और पैमाइस के आधार पर सीमाऐं कहां बनेगी। अपने निर्णय के आधार पर लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर सीमा रेखा स्थापित करेगें। सीमा निर्धारित करने के बाद पत्थरगढ़ी हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जायेगा। पत्थरगढ़ी का खर्च कौन उठायेगा। यह भी लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार तार्किक आदेश उपखण्ड अधिकारी/लैण्ड रिकोर्ड आफिसर द्वारा जारी किये जाने पर पक्षकार यदि फिर भी संतुष्ट नहीं होते है तो वे अपील का लाभ ले सकते है।

वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा बहुत जल्दबाजी में मात्र दो पेशी में ही बिना मौके की जानकारी प्राप्त किये, सीधे ही पत्थरगढ़ी बाबत आदेश जारी किया है। जो प्रक्रिया के विरूद्ध है। उन्हें पहले मौके की जानकारी राजस्व अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए थी। तत्पश्चात दोनो पक्षों को सुना जाकर निर्णय करना चाहिए था। जो उनके द्वारा नहीं किया गया है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहुत जल्दबाजी में नियमों का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अपीलांटगण आवश्यक पक्षकार थे। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2021 निरस्त योग्य है। अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:59 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 173/2021 उनवानी छग्गू बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट निर्णय दिनांक 16.06.2021 निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:59 IST
Reason: SelfAttested